प्रेषक,

अजय कुमार शुक्ला,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

निर्वाचन अनुभाग, लखनऊः दिनांक 09 मार्च, 2023

विषयः **अनुदान संख्या-41 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2015-निर्वाचन के अन्तर्गत विभिन्न मानक मदों में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में ।।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-123/सी०ई०ओ०-3-42/3-2022, दिनांक-27 फरवरी, 2023 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या-41 के अंतर्गत लेखाशीर्षक 2015-निर्वाचन के लिए कुल रू०-4,52,29,000/- (रूपये चार करोड़ बावन लाख उनतीस हजार) मात्र की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति संलग्न प्रपत्र बी0एम0—9 (भाग—1) के अनुसार पुनर्विनियोग के माध्यम से निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

(नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों)

(1) जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है उस मद में पुन: अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जाएगी।

(2) पुनर्विनियोग की जाने वाली धनराशि का सदुपयोग उसी वित्तीय वर्ष में एवं उसी कार्य के लिये किया जायेगा।

(3) पुनर्विनियोग मात्र बजट की उपलब्धता हेतु सुनिश्चित किया जा रहा है। प्रश्नगत कार्य हेतु धनराशि स्वीकृत किये जाने के विषय में मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति करते हुए औचित्य का परीक्षण कर लेंगे।

(4) पुनर्विनियोग की जाने वाली धनराशि का सदुपयोग वित्तीय वर्ष में न करने और उसके फलस्वरूप होने वाले आडिट आपत्ति हेतु मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय उत्तरदायी होंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट :shasanadesh.up.gov.in... से सत्यापित की जा सकती है ।

(5) मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि पुनर्विनियोग से उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर- 150 एवं 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होगा।

(6) प्रश्नगत धनराशि का उपयोग दिनांक 31.3.2023 तक कर लिया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्ष: 2015001030300 (विधान सभा एवं संसद)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	स्वीकृत धनराशि
1	041	2015001030300 विधान सभा एवं संसद	07 मानदेय	1,85,70,000 (रुपये एक करोड़ पचासी लाख सत्तर हजार मात्र)
2	041	2015001030300 विधान सभा एवं संसद	11 लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	2,32,16,000 (रुपये दो करोड़ बत्तीस लाख सोलह हजार मात्र)
	कुल			**4,17,86,000** **(रुपये चार करोड़ सत्रह लाख छियासी हजार मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2015001030500 (निर्वाचन अधिष्ठान व्यय)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	स्वीकृत धनराशि
1	041	2015001030500 निर्वाचन अधिष्ठान व्यय	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	11,50,000 (रुपये ग्यारह लाख पचास हजार मात्र)
2	041	2015001030500 निर्वाचन अधिष्ठान व्यय	15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	5,00,000 (रुपये पांच लाख मात्र)

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट :shasanadesh.up.gov.in... से सत्यापित की जा सकती है ।

3	041	2015001030500 निर्वाचन अधिष्ठान व्यय	49 चिकित्सा व्यय	16,00,000 (रुपये सोलह लाख मात्र)
	कुल			**32,50,000** **(रुपये बत्तीस लाख पचास हजार मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2015001060600 (उप निर्वाचन-राज्य विधान परिषद)

	अनुदान संख्या	**लेखा शीर्षक**	**मानक मद**	**स्वीकृत धनराशि**
1	041	2015001060600 उप निर्वाचन-राज्य विधान परिषद	07 मानदेय	7,000 (रुपये सात हजार मात्र)
2	041	2015001060600 उप निर्वाचन-राज्य विधान परिषद	08 कार्यालय व्यय	82,000 (रुपये बयासी हजार मात्र)
3	041	2015001060600 उप निर्वाचन-राज्य विधान परिषद	11 लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	1,04,000 (रुपये एक लाख चार हजार मात्र)
	कुल			**1,93,000** **(रुपये एक लाख तिरानवे हजार मात्र)**
महायोग		**4,52,29,000** **(रुपये चार करोड़ बावन लाख उन्तीस हजार मात्र)**		

के नामे डाला जायेगा।

-4

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट :shasanadesh.up.gov.in... से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/ दस-2022-231/2022, दिनांक-07-जून 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक:-प्रपत्र बी0एम0—9 (भाग—1)

भवदीय,

(अजय कुमार शुक्ला)
सचिव।

संख्याः-03/2023/14 (1)/61-2023-002-06-Reappropriation-2022-2023, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
(3) वित्त नियंत्रक/वित्तीय सलाहकार, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ0प्र0 , लखनऊ।
(4) सम्बन्धित कोषाधिकारी द्वारा निर्वाचन अनुभाग—3 कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी,उ0प्र0, लखनऊ।
(5) वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
(6) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(7) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह०/-
(मोहन लाल)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट :shasanadesh.up.gov.in... से सत्यापित की जा सकती है ।

बी एम-9 (भाग - 1)पुनर्विनियोग
के लिए आवेदन / स्वीकृति
(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर-158)
A061-20222023-06-Reappropriation-2022-2023

विषय- अनुदान संख्या -41 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2015-निर्वाचन के अन्तर्गत विभिन्न मानक मदों में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में ।

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पशचात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
041	2015001030300 (विधान सभा एवं संसद)	08 (कार्यालय व्यय)	30,00,00,000 रुपये तीस करोड़ मात्र	4,52,29,000 रुपये चार करोड़ बावन लाख उन्तीस हजार मात्र	4,52,29,000 रुपये चार करोड़ बावन लाख उन्तीस हजार मात्र	45229000	254771000	2022-2023
कुल					₹ 4,52,29,000			

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पशचात् उपलब्ध अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
041	2015001030300 (विधान सभा एवं संसद)	07 (मानदेय)	1,20,00,00,000 रुपये एक अरब बीस करोड़ मात्र	1,85,70,000 रुपये एक करोड़ पचासी लाख सत्तर हजार मात्र	18570000	1218570000	2022-2023

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट :shasanadesh.up.gov.in... से सत्यापित की जा सकती है ।

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात् उपलब्ध अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
041	2015001030300 (विधान सभा एवं संसद)	11 (लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई)	3,00,00,000 रुपये तीन करोड़ मात्र	2,32,16,000 रुपये दो करोड़ बत्तीस लाख सोलह हजार मात्र	23216000	53216000	2022-2023
041	2015001030500 (निर्वाचन अधिष्ठान व्यय)	12 (कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण)	30,00,000 रुपये तीस लाख मात्र	11,50,000 रुपये ग्यारह लाख पचास हजार मात्र	1150000	4150000	2022-2023
041	2015001030500 (निर्वाचन अधिष्ठान व्यय)	15 (गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद)	30,00,000 रुपये तीस लाख मात्र	5,00,000 रुपये पांच लाख मात्र	500000	3500000	2022-2023
041	2015001030500 (निर्वाचन अधिष्ठान व्यय)	49 (चिकित्सा व्यय)	50,00,000 रुपये पचास लाख मात्र	16,00,000 रुपये सोलह लाख मात्र	1600000	6600000	2022-2023
041	2015001060600 (उप निर्वाचन-राज्य विधान परिषद)	07 (मानदेय)	1,000 रुपये एक हजार मात्र	7,000 रुपये सात हजार मात्र	7000	8000	2022-2023
041	2015001060600 (उप निर्वाचन-राज्य विधान परिषद)	08 (कार्यालय व्यय)	1,000 रुपये एक हजार मात्र	82,000 रुपये बयासी हजार मात्र	82000	83000	2022-2023
041	2015001060600 (उप निर्वाचन-राज्य विधान परिषद)	11 (लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई)	1,000 रुपये एक हजार मात्र	1,04,000 रुपये एक लाख चार हजार मात्र	104000	105000	2022-2023
कुल				**₹ 4,52,29,000**	**₹ 4,52,29,000**		

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहे:-

उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार हैं:-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट :shasanadesh.up.gov.in... से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(1) चालू वित्तीय वर्ष 2022-2023 में जनपदों से कम मांग प्राप्त होने की सम्भावना के कारण बचत सम्भावित है।

(2) वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध/विनियोग के सापेक्ष संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से हैः-

विभिन्न अर्हता तिथियों के आधार पर हुए विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के संक्षिप्त/निरन्तर पुनरीक्षण हेतु नियुक्त बी0एल0ओ0 (कुल संख्या 161203) तथा सुपरवाइजरों (कुल संख्या 15994) को माह फरवरी, 2023 का परिश्रमिक दिये जाने हेतु, विभिन्न अर्हता तिथियों के आधार पर हुए विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के संक्षिप्त/निरन्तर पुनरीक्षण हेतु लेखन सामग्री, प्रपत्रों की छपाई तथा प्रपत्रों की छपाई में प्रयुक्त कागज आदि हेतु, जिला निर्वाचन कार्यालयों में स्थापित फोटो कॉपियर मशीन की करायी गयी मरम्मत तथा बदलवाये गये टोनर कार्टेज, ड्रम, डेवलपर तथा मशीन के किराये आदि हेतु, मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के स्टाफ की गाड़ियों के ईंधन, मरम्मत तथा किराये पर ली गयी गाड़ियों के किराये आदि के भुगतान हेतु, मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय तथा जिला निर्वाचन कार्यालयों में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा स्वयं एवं उनके आश्रित सदस्यों की चिकित्सा पर हुए व्यय के भुगतान हेतु, विधान परिषद के उप निर्वाचन-2022 को सम्पन्न कराने में लगाये गये कार्मिकों को मानदेय/परिश्रमिक दिये जाने हेतु, विविध व्ययों के भुगतान हेतु तथा लेखन सामग्री आदि पर हुए व्यय के भुगतान हेतु धनराशि की आवश्यकता है।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर 150, 151 व 154 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों / परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

संख्या: -RE-budget-1-426, दिनांक- 06 मार्च,,2023

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

(मोहन लाल)
अनु सचिव।

(मदन मोहन त्रिपाठी)
अनु सचिव।

संख्या : A061-20222023-06-Reappropriation-2022-2023, दिनांक-09.03.2023,

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
2- सम्बंधित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त नियन्त्रक/वित्तीय सलाहकार, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (तीन प्रतियों में)
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-12
7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से
(मोहन लाल)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट :shasanadesh.up.gov.in... से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in